सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 16, गुरूवार, शाके 1944-जुलाई 07, 2022 *Asadha 16, Thursday , Saka 1944- July 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 07, 2022

जी.एस.आर.300.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23-07-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 23, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 56 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

57.	माल और सेवाएं	राज्य सरकार के पास ब्रोंज़ या उच्चतर क्यूरेट स्कोर के साथ रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार बोली प्रक्रिया में सम्मलित किये बिना सीधे कार्य आदेश दिये जायेंगे:- 1. क्यूरेट ब्रोंज़: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक कार्य आदेश 2. क्यूरेट सिल्वर: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 3. क्यूरेट गोल्ड: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 4. क्यूरेट प्लैटिनम: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश 5. क्यूरेट सिग्नेचर: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश	1. उपापन की विषय-वस्तु का अनुमानित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। 2. भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप को उपलब्ध कराये गये किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (जैसे ई-बाजार राजस्थान, आदि) के माध्यम से उपापन किया जा सकेगा।

"

[सं.एफ2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.